



2026:AHC:67240

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9189 वर्ष 2026

जैनब खातून आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: दीक्षा गुप्ता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 64

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

1. राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर द्वारा प्रस्तुत डॉ. हम्मीर सिंह के बयान की प्रति अभिलेखों पर ली जाती है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और श्री नागेंद्र कुमार मिश्रा, राज्य-प्रतिपक्षी के विद्वान ब्रीफ होल्डर को सुना।
3. धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें आवेदक को केस अपराध संख्या-18 वर्ष 2026 में धारा 3(5), 115(2), 105, 109(1), 351(3), 131 बी.एन.एस., थाना-मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत पर बढ़ाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने सात आरोपियों के साथ सूचनाकर्ता की बहन और बहनोई पर हमला करने का आरोप लगाया है। सूचनाकर्ता के बहनोई मो. ताहिर ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को आठ चोटें आईं। सात चोटें थीं, जबकि चोट संख्या-5 बाएं पैर पर घाव थी। डॉक्टर की राय में मौत का कारण शव परीक्षण से पहले की चोटों के कारण रक्तस्रावी झटका है। यह तर्क

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया जाता है कि मृतक द्वारा लगी चोटों की प्रकृति से मृत्यु होने की संभावना नहीं है। शव परीक्षण करने वाले डॉ. हम्मीर सिंह ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में यह भी कहा कि चोट संख्या-5 को छोड़कर, जो घाव का घाव था, सभी चोटें चोट थीं। आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक को मुख्य अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया था, जिसके कारण मृतक को चोट पहुंची। आवेदक 15.01.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेखों से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सका।

6. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने सात आरोपियों के साथ सूचनाकर्ता की बहन और बहनोई पर हमला करने का आरोप लगाया है। सूचनाकर्ता के बहनोई मो. ताहिर ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को आठ चोटें आईं। सात चोटें घायल थीं, जबकि चोट संख्या-5 बाएं पैर पर घाव थी। डॉक्टर की राय में मृत्यु का कारण शव परीक्षण से पहले की चोटों के कारण रक्तस्रावी झटका है। शव परीक्षण करने वाले डॉ. हम्मीर सिंह ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में यह भी कहा कि चोट संख्या-5 को छोड़कर, जो घाव का घाव था, सभी चोटें घायल थीं। आवेदक के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक एक महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक दो महीने से अधिक समय तक कैद में रहा है और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर बढ़ाया जाता है, तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।



7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक जैनब खातून को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख को पेश होगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

एलबीएम/

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)